छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक /2121/2011/38-2 रायपुर, दिनांक /06/2011

प्रति,

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर

विषयः- श्री रामनारायण शिक्षण संस्थान भाटापारा, रायपुर द्वारा संचालित कमलाकान्त शुक्ला इंस्टीट्यूट, ग्राम – देवरी भाटापारा, रायपुर वर्ष 2011-12 से नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति विषयक।

संदर्भः- आपकी टीप क्रमांक 386/आउशि/11, दिनांक 23/04/2011 (नस्ती क्रमांक 45/आउशि/अशै0/2011)

श्री रामनारायण शिक्षण संस्थान भाटापारा, रायपुर द्वारा संचालित कमलाकान्त शुक्ला इंस्टीट्यूट, ग्राम – देवरी भाटापारा, रायपुर को छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत शैक्षणिक सत्र 2011-12 से पाठ्यक्रम विषय बी0काम0 (कम्प्यूटर) 50 सीट, बी0सी0ए0 30 सीट, पी0जी0डी0सी0ए0 40 सीट, डी0सी0ए0 40 सीट हेतु प्रथम वर्ष के साथ कमलाकान्त शुक्ला इंस्टीट्यूट, ग्राम – देवरी भाटापारा, रायपुर में महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. अधिनियम 2006 एवं 2007 का पालन करने।
2. कॉलेज कोड परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जावे।
3. बैंक के माध्यम से समस्त स्टाफ का वेतन भुगतान किया जावे।
4. नियमानुसार कायिक निधि शुल्क की पूर्ति करने।
5. 20 कम्प्यूटर क्रय करने ।
6. 75 हजार रूपयों की पुस्तकें क्रय करने ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एन0 डी0 भोयर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

G41

30

पृ0 क्रमांक 2067 /2121/2011/38-2 रायपुर, दिनांक 17/06/2011

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. महालेखाकार, रायपुर छ0ग0।
3. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर।
4. सचिव, श्री रामनारायण शिक्षण संस्थान भाटापारा, रायपुर द्वारा संचालित कमलाकान्त शुक्ला इंस्टीट्यूट, ग्राम – देवरी भाटापारा, रायपुर छ0ग0 को सूचनार्थ प्रेषित।
5. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

G42